



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]
No. 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

सा.का.नि. 447(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य - सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2012 कहा जाएगा ।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में, नियम 32, उपनियम (8) के परन्तुक में "180 दिन" के बदले "360 दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एल-11012/2/2003-एल एण्ड एम]

संजीव गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (1) में सा.का.नि. 700 (ई) दिनांक 2 दिसम्बर, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् सा.का.नि. 717 (ई) दिनांक 12 नवम्बर, 2007 द्वारा इसमें संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2012

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by Section 124 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 2002(39 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2012.
(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, in rule 32, in sub-rule (8), in the proviso, for the figures and word “180 days” the figures and word “360 days” shall be substituted.

[F. No. L-11012/2/2003-L & M]

SANJEEV GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 700 (E), dated the 2nd December, 2002 and subsequently amended by G.S.R. 717 (E), dated the 12th November, 2007.